राष्ट्रपति

भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदात्मक प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान है। जबकि मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद उनका पद गरिमायुक्त एवं एकता का प्रतीक है। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक तन्त्र को संतुलित करता है।

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है।

अनुच्छेद 54, द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता से ना करके एक निर्वाचक मण्डल करता है जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

(ख) राज्यों के ~~विधान~~ ~~सभा~~ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

स्पष्ट है कि नामजद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।

अनुच्छेद 55(1) के अनुसार जहाँ तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में समान एकरूपता होगी। इसी अनुच्छेद 55(2क) में यह कहा गया है कि "किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग देने पर आयी संख्या को एक हजार से भाग दें। यह भागफल उस राज्य के विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य होगा इसके बाद शेष यदि 500 से कम न हो तो मतों के मूल्यों में एक और जोड़ दिया जायेगा।

संक्षेप में,

विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या

$$= \frac{\text{उस राज्य की जनसंख्या}}{\text{उस राज्य की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \div 1000$$

यदि उपर्युक्त विभाजन में शेष 500 से अधिक आता है तो उसे एक वोट माना जायेगा और उसे भजनफल में जोड़ दिया जाएगा।

संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य

"संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या वही होगी जो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत समस्त संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की समस्त संख्या से भाग देने पर आए।

संसद के एक सदस्य की मतसंख्या

$$= \frac{\text{विधान सभाओं के वोटों की कुल संख्या}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली — अनुच्छेद 55 (3) में उपबन्ध है कि 'राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।"

राष्ट्रपति के अभी तक के निर्वाचनों में केवल एक बार ही दूसरी पसन्द के वोटों को गिनने की आवश्यकता पड़ी है। भारत के राष्ट्रपति के पांचवे निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को पहली पसन्द के इतने वोट नहीं मिल सके जिससे उसे विजयी घोषित किया जा सके। अतः दूसरी पसन्द के वोटों को हस्तान्तरित किया गया और वी. वी. गिरि विजयी रहे।

कार्यकाल — अनुच्छेद 56 (1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु —

- राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा
- राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबन्धित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा
- राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद न ग्रहण कर लेता है।

पुनर्निर्वाचन — अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है जैसी कि अमरीकन संविधान में की गई है।

महाभियोग — संविधान के अनुच्छेद 61(1) में व्यवस्था है कि 'संविधान अतिक्रमण' करने पर संसद राष्ट्रपति को 5 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल से पहले भी महाभियोग की प्रणाली द्वारा पदच्युत कर सकती है
- अनुच्छेद 61 (2) में कहा गया है कि ऐसा कोई आरोप तब तक किसी सदन में नहीं लगाया जाएगा जब तक कि...

(क) वह एक संकल्प के रूप में न हो और कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के बाद वह प्रस्तावित किया गया हो। ऐसे प्रस्ताव पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ख) ऐसा प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।

(ग)

→ - जब संसद के किसी सदन द्वारा आरोप इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप की जाँच करेगा या कराएगा और ऐसी जाँच और ऐसी जाँच के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा

→ यदि ऐसी जाँच के उक्त प्रस्ताव या संकल्प में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, जाँच करने वाले सदन ने 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है, तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।

यदि किसी तरह राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो उपराष्ट्रपति तुरन्त ही उसका पद भार संभाल लेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी किसी कारणवश रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को सम्भालेगा।

नए राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद को धारण करेगा।

वेतन ~~भत्ते~~ भत्ते — 5 लाख

तथा अवकाश प्राप्ति के बाद पेंशन की भी व्यवस्था है।

→ .